दिनांक 26.02.2018 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाहीः–

दिनांक 24.02.2018 को मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत धर्मपुर गाँव के निकट बोलेरो द्वारा कुल 09 स्कूली बच्चों की कुचलने से हुई मृत्यु तथा कई अनेक व्यक्तियों के घायल होने की सूचना के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26.02.2018 को अपराह्न 5:00 बजे आहूत की गई जिसमें कमेटी के सभी नामित सदस्य उपस्थित हुए। कमेटी द्वारा दिनांक 24.02.2018 को मुजफ्फरपुर की सड़क दुर्घटना के कारणों तथा भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायों पर विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गएः–

1. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु Short Term, Medium Term और Long Term योजनाओं एवं कार्यक्रमोंको त्वरित गति से लागू किया जाय।

   (अनुपालन–राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के सभी पणधारी विभाग)

2. पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा राष्ट्रीय उच्च पथ की सभी एजेन्सियों को निदेश दिया गया कि भविष्य में कोई भी नया पथ निर्माण बिना रोड सेफ्टी ऑडिट के नहीं किया जाय एवं सड़क सुरक्षा के सभी मानकों को प्राक्कलन में ही शामिल किया जाय तथा इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

   (अनुपालन–पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)

3. वर्त्तमान सड़कों की रोड सेफ्टी ऑडिट पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग अपने स्तर से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालन–पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग)

4. NH एवं SH के वैसे महत्वपूर्ण स्थल, जहाँ–जहाँ आबादी का घनत्व ज्यादा है तथा अगल–बगल गांव, स्कूल अथवा बसावट हों एवं आम नागरिक अपनी रोजी–रोटी या जीविका के उद्देश्य से सड़क पार करते हों, वैसे स्थानों पर रैम्प आधारित फुट ओवरब्रिज (Foot Over Bridge) एवं Under pass का निर्माण कराया जाय।

   (अनुपालन–पथ निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)

5. अपने–अपने जिले की सड़कों के Black Spot एवं पूर्व के दुर्घटना स्थलों एवं दुर्घटना प्रवण स्थलों का अध्ययन कर उन्हें चिन्हित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार रोड साईनेज, फुट ओवरब्रिज एवं अन्डर पास हेतु जगह चिन्हित करते हुए संबंधित सड़कों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के सहयोग से इनके परिमार्जन एवं सुधार का कार्य करेंगे।

   (अनुपालन–पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सभी जिला पदाधिकारी)

6. पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग 03 माह के भीतर सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर रोड सुरक्षा से संबंधित आवश्यक संकेतक, सचेतक एवं आदेशात्मक चिन्हों को अधिष्ठापित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके।

   (अनुपालन–पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग)

7. वाहनों की तेज गति को नियंत्रित करने हेतु सभी व्यावसायिक वाहनों एवं स्कूल बसों में स्पीड गर्वनर (Speed Governor) लगाये जाय। बिना स्पीड गर्वनर लगे व्यावसायिक वाहनों एवं स्कूल बसों का परमिट और फिटनेस जारी नहीं किया जाय।

(अनुपालन–परिवहन विभाग)

8. रात्रि के समय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक व्यावसायिक वाहन यथा बस, ट्रक, डम्पर, ऑटो एवं अन्य भाड़े की गाड़ियों पर परावर्तक टेप (Reflecting Tape) लगाना अनिवार्य किया जाय।

(अनुपालन–परिवहन विभाग)

9. यातायात नियमों के उल्लंघन, गलत तरीके से ड्राईविंग करने, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाने एवं ऐसे कार्यो में लगातार संलिप्त रहने वाले चालकों की चालक अनुज्ञप्ति रदद की जाय।

(अनुपालन–परिवहन विभाग)

10. प्रत्येक जिला में वैसी गंभीर वाहन दुर्घटनाएँ जिसमें अनुसंधान के दौरान गैर इरादतन हत्या का आरोप भी प्रमाणित हो रहा हो, वहाँ आई.पी.सी. (I.P.C.) की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत, उस दोषी वाहन चालक पर न्याय संगत त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

11. चिन्हित 124 Black Spots के परिमार्जन एवं इन्हें दुर्घटना रहित बनाने के लिए वहाँ सड़क में सुधार, प्रॉपर साईनेज, सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाईडर आदि का निर्माण कराया जाय तथा वहाँ स्थानीय जन–जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाया जाय। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जन प्रतिनिधि यथा सरपंच, मुखिया, प्रखण्ड प्रमुखों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाय।

(अनुपालन–पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सभी जिला पदाधिकारी, एवं जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी)

12. राष्ट्रीय राजमार्गो एवं राज्य उच्च पथों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एम्बुलेंस, क्रेन एवं पुलिस पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराये जाएँ ताकि वाहनों की गति पर नियंत्रण किया जा सके एवं दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को अविलंब मदद पहुंचाकर पीड़ित व्यक्ति की जान बचायी जा सके।

(अनुपालन–स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग एवं पथ निर्माण विभाग)

13. राष्ट्रीय राजमार्गो एवं राज्य उच्च पथों पर पुलिस गश्ती दल को स्पीड गन उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–गृह विभाग)

14. राज्य में ट्रैफिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट (Traffic Research Institute) की स्थापना की जाय।

(अनुपालन–गृह विभाग एवं परिवहन विभाग)

15. जिला स्तर पर त्वरित एक्सीडेन्ट एनालिसिस टीम का गठन किया जाय जो दुर्घटना के कारणों की जाँच कर जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई करेगी ताकि भविष्य में इसकी पुर्नरावृत्ति न हो सके।

(अनुपालन–गृह विभाग एवं जिला पदाधिकारी)

16. स्कूली बच्चों की दुर्घटना से सुरक्षा हेतु बिहार सुरक्षित विद्यालय बस परिवहन एवं विनियमन नीति को शीघ्र लागू किया जाय।

(अनुपालन–परिवहन विभाग)

17. ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए पुलिस एवं प्रर्वतन तत्रों को आवश्यक निदेश दिए जाएँ।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक एवं परिवहन विभाग)

18. हेलमेट के प्रयोग को अनिवार्य किया जाय।

(अनुपालन–सभी पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना एवं परिवहन विभाग)

19. ड्राईविंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट की स्थापना की जाय।

(अनुपालन–परिवहन विभाग)

20. दुर्घटना की त्वरित जानकारी हेतु प्रत्येक जिलें में App के माध्यम से समुचित कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1858 /पटना, दिनांक 14.3.18

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/शिक्षा विभाग/पथ निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंसाधन विभाग/सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय/पुलिस अधीक्षक, बिहार/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/3/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1858 /पटना, दिनांक 14.3.18

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1858 /पटना, दिनांक 14.3.18

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।